संख्या-12/2020/ 129 /क.नि.प्र./26-3-2020-15(38)/20

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 14 फरवरी,2020
समाज कल्याण विभाग

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-205/स.क./विकास/संतकबीर नगर/2019-20 दिनांक 14 मई, के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-14/2018/482/क.नि.प्र./26-3-2018-15(38)/2015 दिनांक 28 मार्च, 2018 संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड-हैसर बाजार के ग्राम माधोपुर में सी.सी. रोड, इण्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य हेतु कुल आंगणित लागत रू. 222.46 लाख के सापेक्ष अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रू.100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यदायी संस्था यू.पी.स्टेट कांस्ट्रक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0(सिडको) से कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. निदेशक,समाज कल्याण द्वारा उक्त धनराशि आहरित कर प्रबन्ध निदेशक, सिडको को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त कार्य मद में अधिष्ठान व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र अवशेष कार्यो को पूरा किया जायेगा। प्रयोजना के निर्माण के बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए निर्माण इकाई उत्तरदायी होगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस.सी.एस.पी./ टी.एस.पी. हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों तथा योजना संचालन संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी तथा इसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी उत्तदायी होगें।
5. प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्रांइग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
6. संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ.प्र. प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगित/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स, योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सदुपयोग प्रमाण पत्र इत्यादित देना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक- 4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22मार्च,2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

<u>पृ. संख्या-12/2020/ 129 /(1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, सन्तकबीर नगर।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी सन्तकबीर नगर।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), सन्तकबीर नगर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रबन्ध निदेशक,यू.पी.स्टेट कांस्ट्रक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (सिडको),उ.प्र. लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।